

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

**भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड**

अधिसूचना

संख्या 01/2025 – केंद्रीय कर

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी, 2025

सा.का.नि.....(अ).-केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 83/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 10 नवम्बर, 2020, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्या सा.का.नि. 699(ड), दिनांक 10 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में पांचवें परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीनकर अवधि दिसंबर, 2024 के लिए विवरणी प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित पंजीकृत व्यक्तियों के लिए उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने की समय-सीमा माह जनवरी, 2025 के तेरहवे दिन तक बढ़ाई जाएगी और उन पंजीकृत व्यक्तियों के लिए, जिन्हें अक्टूबर से दिसंबर, 2024 की कर अवधि के लिए उक्त उपधारा के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, माह जनवरी, 2025 के पंद्रहवे दिन तक बढ़ाई जाएगी।”

[फ.सं. सीबीआईसी-20001/10/2024-जीएसटी]

(रौशन कुमार)

अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 83/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 10 नवम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या सा.का.नि. 699(ड), दिनांक 10 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 09/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 12 अप्रैल, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या सा.का.नि. 246(ड), दिनांक 12 अप्रैल, 2024 द्वारा किया गया था।